प्रेस विज्ञप्ति

5/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरण और रिएजेंट खरीद घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ भर में 20 परिसरों में 30-31/7/2025 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। उक्त कार्रवाई के दौरान शशांक चोपड़ा, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खातों में जमा राशि, सावधि जमा, डीमैट खातों में शेयर और वाहनों के रूप में **40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति** पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत जब्त/फ्रीज कर दी गई।

ईडी ने एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर द्वारा मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया है। एफआईआर और आरोपपत्र के अनुसार, शशांक चोपड़ा ने कथित तौर पर डीएचएस और सीजीएसएमसीएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर करने, मनगढ़ंत मांग करने और सीजीएमएससीएल को बढ़ी हुई कीमत पर चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट की आपूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची।

ईडी की जांच से पता चला कि सीजीएमएससीएल ने चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट की खरीद के लिए निविदाएं जारी कीं और मोक्षित कॉर्पोरेशन ने कथित तौर पर सीजीएमएससीएल, डीएचएस और अन्य पात्र फर्मों के अधिकारियों के साथ एक कार्टेल बनाकर पूल टेंडरिंग के माध्यम से ये निविदाएं हासिल कीं। मोक्षित कॉर्पोरेशन ने उपकरण और रीएजेंट की आपूर्ति काफी बढ़ी हुई दरों पर की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी अवैध लाभ हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

तलाशी अभियान के दौरान, उक्त जब्ती/फ्रीजिंग के अलावा, कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए दस्तावेजों/डिजिटल उपकरणों से, अन्य बातों के अलावा, संदिग्ध लेनदेन, अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संबंध और संबंधित अपराध से प्राप्त धन के अन्य उपयोग का पता चला।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।